रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 170] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 1, 1974/आषाढ़ 10, 1896

No. 170] NEW DELHI, MONDAY, JULY 1, 1974/ASADHA 10, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 1st July 1974

G.S.R. 298(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 100/74-CE, dated 1st June, 1974, the Central Government hereby fixes a tariff value of two hundred and eighty-five rupees per quintal for sugar falling under sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule to the said Act and chargeable with duty *ad valorem*.

Provided that nothing contained in this Notification shall apply to sugar required by the Central Government to be sold under clause (f) of sub-section (2) of Section 3, of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955).

[No. 109/74-CE]

G. S. MAINGI, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1974

सा०का०नि० 298(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 1 जून, 1974 की अधिसूचना संख्या 100/74 के० उ० शु० को अतिष्ठित करते हुये केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसुची की मद संख्या 1 की उपमद संख्या (1) के अन्तर्गत आने वाली और मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य चीनी के लिये दो सौ पिच्चासी रुपये प्रति क्विंटल मूल्य एतद्द्वारा नियत करती है।

परन्तु इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट कोई भी बात केन्द्रीय सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (छ) के अधीन बिक्री की जाने के लिये अपेक्षित चीनी पर लागू नहीं होगी।

[सं० 109/74-के० उ० शु०]

जी० एस० मैंगी, अवर सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974